प्रेस विज्ञप्ति
09.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) न्यायालय, विशाखापट्टनम के समक्ष 27.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत वुचूला राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक सह अपीलीय आयुक्त, नगर प्रशासन, राजामुंद्री और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में पीएमएलए, 2002 के तहत मामला दर्ज पाया गया,जिसके बाद माननीय न्यायालय ने 07.05.2024 को उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है|

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ई) के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आंध्र प्रदेश पुलिस, विजयवाड़ा द्वारा दर्ज प्राथमिकी और एसपीई और एसीबी मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश,विजयवाड़ा के समक्ष दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की,जिसमें यह आरोप लगाया गया कि वुचूला राजेंद्र प्रसाद, एक लोक सेवक होने के नाते, अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया और 05.02.1990 से 12.05.2015 की अवधि के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध और भ्रष्ट साधनों के माध्यम से आय के अपने ज्ञात स्रोतों के इतर बेअनुपात 2.22 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिग्रहण किया था।

ईडी जांच से पता चला कि वुचूला राजेंद्र प्रसाद, एक लोक सेवक होने के नाते आंध्र प्रदेश सरकार के तहत विभिन्न क्षमताओं में काम करते हुए, 2.22 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय उत्पन्न किया जिसका उपयोग अवैध साधनों से उनके नाम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम भूखंड, सोने और चांदी के गहने, वाहन आदि सहित चल/अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया था जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अनुपातहीन थे|

आगे की जांच चल रही है।